

भाग-IV

नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरे जाने के लिए

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जावे।	मुख्य वन संरक्षक, वृत्त होशंगाबाद, वृत्त खण्डवा एवं वृत्त बैतूल द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत वनमंडल हरदा, खण्डवा, नर्मदापुरम, पश्चिम बैतूल एवं उत्तर बैतूल की कुल 2272.05 हे० वनभूमि मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यु. सिवनी मालावा, जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	--

तिथि :- 10 / 03 / 2023

स्थान :- भोपाल


 10/03/2023
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
 मध्यप्रदेश, भोपाल